जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, बेगूसराय
उपस्थित पीठासीन पदाधिकारी –श्री वेद प्रकाश मोदी

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, बेगूसराय
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1329/2026
राज्य बनाम् शत्रुधन सिंह वगैरह

आदेश

03.07.2026 : प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन, आवेदकगण **1. शत्रुधन सिंह, उम्र–60 वर्ष, 2. नन्द कुमार सिंह, उम्र–56 वर्ष, दोनों पिता–स्व0 शिवपूजन सिंह, 3. राज कुमार, उम्र–36 वर्ष, 4. गुंजन कुमार, उम्र–34 वर्ष, दोनों पिता–शत्रुधन सिंह, 5. गणेश राय, पिता–स्व0 डिगो राय, उम्र–72 वर्ष, 6. हरि शंकर राय, उम्र–51 वर्ष, 7. श्रवण कुमार उर्फ अमर कुमार, उम्र–37 वर्ष, दोनों पिता–दयानंद राय, 8. विकास कुमार, पिता–गणेश राय, उम्र–33 वर्ष** की ओर से दाखिल किया गया है जो **धारा–115(2), 126(2), 109(1), 308(3), 352, 351(2), 190, 3(5) B.N.S.** के अधीन दर्ज बेगूसराय **~~मझपुरा~~ गढ़हारा थाना काण्ड संख्या–63/2026** में पुलिस की गिरफ्तारी की आशंका से सशंकित हैं तथा उक्त वाद **वर्तमान में एस. डी. जे. एम, बेगूसराय के न्यायालय में लंबित है।**

अग्रिम जमानत आवेदन के पारा नंबर 2 पर एक प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदक अभियुक्तगण की ओर से इससे पहले इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष कोई अग्रिम जमानत दाखिल नहीं किया गया है।

अग्रिम जमानत आवेदन के पारा नंबर 3 पर यह प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध कुल छः आपराधिक इतिहास दर्ज है जिसमें गढ़हारा थाना कांड संख्या–5/25 एवं गढ़हारा थाना कांड संख्या–70/25 में आवेदक संख्या–6, 7, 8 एवं 9 को छोड़कर और आवेदक संख्या–3 राज कुमार भी गढ़हारा थाना कांड संख्या–9/25 में आरोपी है।

आवेदकगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री शिशिर कुमार तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री मनोज ठाकुर को सुना।

आवेदकगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। ये सभी आरोप पूरी तरह से झूठे और निराधार हैं और वर्तमान मामला गढ़हारा थाना कांड संख्या–64/26 के बचाव में दायर किया गया है, जो आवेदक संख्या 3 राज कुमार द्वारा वर्तमान सुचक सुशील मिश्रा और अन्य के खिलाफ दायर किया गया है। सूचक ने जैसा आरोप लगाया है ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं, बल्कि वर्तमान सूचक सुशील मिश्रा अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर ऐसी घटना मं शामिल थे। राजवाड़ा के कई अन्य बदमाशों के साथ मिलकर आवेदकगण की खतियानी और गृहस्थी भूमि खेसरा नं.308 पर सड़क बनाने का प्रयास कर रहे थे जिस पर आवेदकगण का घर पहले से ही बना हुआ है। जब आवेदकगण ने उनके इस अवैध कृत्य का विरोध किया तो उन सभी ने आवेदकगण और उनके परिवार के उन महिलाओं पर बेरहमी से हमला किया जिन्होंने आवेदकगण को बचान की कोशिश की। आवेदकगण की भूमि के बगल में गैमाजरूआ आम की खेसरा संख्या–600 की एक भूमि मार्ग के लिए उपलब्ध है लेकिन वह पहले ही आरक्षित की जा चुकी है। वर्तमान सूचक सुशील मिश्रा और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा ऐसा करने का आरोप लगाया गया है और इसी कारण वे आवेदकगण की खतियानी भूमि पर सड़क का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। खेसरा संख्या–308 की जमाबंदी क्रमांक 732 पहले से ही आवेदकगण क्रमांक 1 एवं 2 के पिता स्वर्गीय शिव पूजन राय के नाम पर चल रही है। खेसरा क्रमांक

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, बेगूसराय
उपस्थित पीठासीन पदाधिकारी –श्री वेद प्रकाश मोदी

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, बेगूसराय
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1329/2026
राज्य बनाम् शत्रुधन सिंह वगैरह

03.07.2026 : 308 की भूमि से संबंधित एक दीवानी विविध वाद संख्या–1838/17 माननीय उच्च न्यायालय पटना में लंबित है और माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा इस पर रोक का आदेश पहले ही पारित किया जा चुका है। इन सभी तथ्यों के बावजूद अभियोजन पक्ष आवेदकगण की निजी भूमि पर सड़क निर्माण करने पर अड़ा हुआ है। वर्तमान सूचक के सगे भाई शिव कुमर मिश्रा ने भी आवेदकगण संख्या–1, 2, 3, 4 और 7 अर्थात् शत्रुधन सिंह, नंद कुमार सिंह, राज कुमार और गुंजन कुमार, हरि शंकर राय सड़क निर्माण से संबंधित इसी विवाद के विरूद्ध गढ़हारा थाना कांड संख्या–62/26 के तहत एक अलग मामला दर्ज कराया है। पूरा मामला खाता संख्या–283, 162 और खेसरा संख्या–100 और 34 क्षेत्रफल एक बीघा चार कट्ठा तीन धूर की एक अन्य भूमि से संबंधित भूमि विवाद के कारण एक साजिश के तहत उत्पन्न हुआ है, जिसमें अभियोजन पक्ष भी शामिल है जो आवेदकगण के पक्ष में डी. सी.एल.आर, बेगूसराय और संभागीय आयुक्त, मुंगेर द्वारा पारित आदेश के बावजूद आवेदकगण को बेदखल करने पर अड़ा हुआ है। गढ़हारा थाना कांड संख्या–64/26 दर्ज होने के बाद वर्तमान सूचक ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिनांक 26.05.26 की मध्यरात्रिको आवेदकगण की दूसरी जमीन पर बोई गई मूंग की फसल को बर्बाद कर डाला जिसके खिलाफ सह आरोपी बबीता देवी ने गढ़हारा थाना कांड संख्या–65/26 वर्तमान सूचक एवं अन्य के खिलाफ दर्ज करायी है। बी. एन. एस. की धारा–109(1) एवं 308(3) को छोड़कर सभी धाराएं जमानती है। आवेदकगण के विरूद्ध अभियोजन का कथन बिल्कुल ही झूठा एवं आधारहीन है। साथ ही आवेदक अभियुक्तगण न्यायायल द्वारा आरोपित सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है और उचित राशि के बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। अंत में निवेदन करते हैं कि आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान किये जाने का कृपा की जाए।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध करते हुए इसे खारिज करने की प्रार्थना करते हैं।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि आज दिनांक 25.05.26 को लगभग दोपहर के एक बजे राजवाड़ा दुर्गा स्थान से गाछी टोला तक का सड़क बन रहा है। उसको दुर्गा स्थान से थोड़ा आगे पूरब के तरफ निम्न लोगों के द्वारा रोका जा रहा था। ग्रामीणों के द्वारा रोकने का विरोध करने पर एक राय होकर 1. शत्रुधन सिंह, 2. नन्द कुमार सिंह, 3. राज कुमार, 4. गुंजन कुमार, 5. महेश राय, 6. गणेश राय, 7. हरि शंकर राय, 8. श्रवण कुमार, 9. विकास कुमार, 10. बबीता देवी, 11. नन्द कुमार सिंह की पत्नी, 12. जागृति कुमारी, 13. राज कुमार की पत्नी, 14. अज्ञात पांच लोग सभी राजवाड़ा गढ़हारा के निवासी हैं। सभी एक राय होकर हथियार से लैस होकर आये। शत्रुधन सिंह हाथ में भाला, नन्द कुमार सिंह के हाथ में खंती, राज कुमार के हाथ में लोहे का एंगिल, विकास के हाथ में लोहे का रॉड, महेश के हाथ में लाठी, बबीता एवं अन्य महिला ईंटा–पत्थर हाथ में लेकर और श्रवण एवं हरि शंकर लोहे का छड़ लेकर एवं अन्य व्यक्ति भी हथियार से लैस होकर आए और जान से मारने की नियत से ग्रामीणों पर हमला कर दिए। जिसमें माधव मिश्रा, पे.–शंभु मिश्रा, आकाश कुमार, पिता–राम कुमार राय, देव शंकर कुमार, पिता–जोगी ठाकुर, जोगी ठाकुर, पिता–स्व0 तारणी ठाकुर, अंशु कुमार, पे.–स्व0 मुकेश ठाकुर, गुड्डू मिश्रा, पे.–स्व0 राम विलास मिश्रा, नितिन कुमार, पे0–शिव कुमार मिश्रा, अनुराग आनंद, पे.–सुशील मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए। मरणासन्न स्थिति में घटनास्थल से उठाकर लाया गया। इसके अलावा बहुत ग्रामीण घायल एवं चोटिल हो गये। देव शंकर के गले में लगभग 25 ग्राम का सोने का

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, बेगूसराय
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1329/2026
राज्य बनाम् शत्रुधन सिंह वगैरह

03.07.2026 : चैन था जिसे छीन लिया नन्द कुमार सिंह ने और इन सभी लोगों को जान से मारने की धमकी दिया। उपरोक्त वर्णित सभी व्यक्ति आपराधिक प्रवृति के हैं इनका वर्ष 1987 से आपराधिक इतिहास रहा है।

वाद अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि काण्ड दैनिकी की कंडिका–33 में आवेदकगण के विरूद्ध कई आपराधिक इतिहास दर्ज है और अग्रिम जमानत आवेदन के कंडिका–3 में इस बात को स्वीकार किया गया है कि आवेदकगण के विरूद्ध पूर्व से कई मामले दर्ज है। काण्ड दैनिकी की कंडिका–4, 5, 6, 7, 8 में वादी, साक्षियों एवं स्वतंत्र साक्षियों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया है। कांड दैनिकी की कंडिका–17 में इस कांड के पुलिस निरीक्षक सह पर्यवेक्षी पदाधिकारी बरौनी थाना अंचल का पर्यवेक्षण टिप्पणी है। आवेदक अभियुक्तगण के ऊपर सूचक द्वारा आरोप लगाया गया है कि वे हथियार से लैस होकर आए और ग्रामीणों पर हमला कर दिया जिससे कई लोग जख्मी हुए। कंड दैनिकी के साथ संलग्न जख्म प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि सभी जख्मी यथा योगी ठाकुर, गुड्डू मिश्रा, आकाश कुमार एवं देव शंकर कुमार के के शरीर पर साधारण प्रकृति का जख्म कारित किया गया है और सी0 टी0 स्कैन रिपोर्ट से स्पष्ट है कि कोई गंभीर जख्म सिर पर नहीं पाया गया है। अनुसंधान अभी जारी है। अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचना स्वरूप एवं जख्म की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदकगण/अभियुक्तगण **1. शत्रुधन सिंह, उम्र–60 वर्ष, 2. नन्द कुमार सिंह, उम्र–56 वर्ष, दोनों पिता–स्व0 शिवपूजन सिंह, 3. राज कुमार, उम्र–36 वर्ष, 4. गुंजन कुमार, उम्र–34 वर्ष, दोनों पिता–शत्रुधन सिंह, 5. गणेश राय, पिता–स्व0 डिगो राय, उम्र–72 वर्ष, 6. हरि शंकर राय, उम्र–51 वर्ष, 7. श्रवण कुमार उर्फ अमर कुमार, उम्र–37 वर्ष, दोनों पिता–दयानंद राय, 8. विकास कुमार, पिता–गणेश राय, उम्र–33 वर्ष** की ओर से मो0 10000/–(दस हजार रुपये) का बंध पत्र एवं उसी समान राशि का दो प्रतिभू दाखिल करने के पश्चात् विद्वान न्यायालय की संतुष्टि पर अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त पर दिया जाता है कि आदेश की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर विचारण न्यायालय में आवेदक अभियुक्तगण आत्मसमर्पण करेंगे।

1. एक जमानतदार निकट संबंधी होंगे।

लेखापित
Ved Prakash Modi
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्
बेगूसराय